न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **141/2019**
GCMS NO. : **2019/00164**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. रामकुमार पुत्र हापुराम जाति– माली, निवासी– आ0कालू, तहसील जैतारण जिला– पाली, हाल निवासी– प्लाट नम्बर 65 खसरा नम्बर 224 सनसिटी धर्मकांटा के पीछे दीपनगर खोखरिया बनाड़ रोड जिला– जोधपुर(राज0)

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.11/07/2019**

उपस्थित:– 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 15/03/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ0कालू में वादी व इनके भाईयों की शामलाती पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन निम्न लिखित खसरान की आई हुई है:– खसरा नम्बर 990 रकबा 05–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 996 रकबा 06–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 998 रकबा 03–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1000 रकबा 03–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1740 रकबा 00–08 बीघा किस्म गैर मु0 आबादी, खसरा नम्बर 1787 रकबा 01–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा नम्बर 19–17 बीघा, खसरा नम्बर 529 रकबा 07–18 बीघा किस्म चाही चारम, खसरा नम्बर 986 रकबा 19–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त आराजी वादी के पैतृक पुश्तैनी होने से वादी के पिता हापूराम का स्वर्गवास सन् 1980 में होर्ने पर फौतदेगी नामान्तरण भरा गया उस समय सेवन से वादी रामकुमार का सही नाम रामकुमार है। उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक अंग माना जावें। उक्त आराजी में वादी का नाम रामकुमार की जगह शिम्भूराम दर्ज होने से वादी अपनी खातेदारी जमीन पर बैंक से ऋण नहीं ले सकता है एवं राज्य सरकार की योजनाएं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिये वादी का सही नाम रामकुमार से शिम्भूराम के स्थान पर रामकुमार दर्ज किया जावे। क्योंकि रामकुमार व शिम्भूराम एक ही व्यक्ति है। इसके समर्थन में सरकारी स्कूल का दस्तावेज टी.सी. में वादी का नाम रामकुमार पुत्र हापूराम दर्ज है व वादी के राशन कार्ड, आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

र्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, सभी दस्तावेजात में रामकुमार ही दर्ज इसलिये राजस्व रेकर्ड में शिम्भूराम पुत्र हापूराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र हापूराम जरिये दुरूस्ति के सही किया जाना आवश्यक है। वादी काश्तकार है वादी द्वारा जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो वादी को सर्व प्रथम ज्ञात हुआ कि वादी का नाम रामकुमार के स्थान पर शिम्भूराम गलत दर्ज हो गया। जिसको जरिये दुरूस्ति के शिम्भूराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र हापूराम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा समय समय पर प्रशासन गांवों के संग अभियान व तहसील कार्यालय में निवेदन किया कि मेरा सही नाम रामकुमार दर्ज किया जावें लेकिन आज दिन तक वादी का नाम रामकुमार दर्ज नहीं हुआ इसलिये श्रीमान्जी के समक्ष दावा घोषणा व दुरूस्ती रेकर्ड का पेश किया जा रहा है। वादी का बिनाय वाद दिनांक 04-06-2019 को राजस्व रेकर्ड में नकले लेनें पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज का सर्व प्रथम ज्ञात होनें पर बमुकाम आ0कालू में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। वाद अन्दर मियाद पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने रिपोर्ट मय मौका फर्द पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/913 दिनांक 14.04.2019 प्रस्तुत कि जो सा0मि0 की गई। भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका में स्पष्ट किया है कि राजस्व रेकर्ड मौजा आ0कालू प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खसरा नम्बर 990, 996, 998, 1000, 1740, 1787 व मौजा आ0कालू की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खसरा नम्बर 529 तथा मौजा बस्सी की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खसरा नम्बर 986 में प्रार्थी सहखातेदार के रूप में दर्ज है जो की सही है तथा यह सही है कि प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होनें पर प्रार्थी के नाम शिम्भूराम दर्ज कर दिया। यह सही है कि रामकुमार व शिम्भूराम एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामकुमार दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में शिम्भूराम के स्थान पर रामकुमार करना उचित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम आ0कालू तहसील जैतारण के अंतर्गत खसरा नम्बर 990 रकबा 05-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 996 रकबा 04-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 998 रकबा 03-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1000 रकबा 03-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1740 रकबा 00-08 बीघा किस्म गैर मु0 आबादी, खसरा नम्बर 1787 रकबा 01-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा नम्बर 19-17 बीघा, खसरा नम्बर 529

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कबा 07–18 बीघा किस्म चाही चारम एवं ग्राम बस्सी के खसरा नम्बर 986 कबा 19–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादी के पिता के फौत होनें पर फौतदगी नामान्तरण के समय वादी का नाम सहवन से शिम्भूराम पुत्र हापूराम दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र हापूराम है। अतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि शिम्भूराम के स्थान पर सही प्रविष्टि रामकुमार इन्द्राज कि जावें। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक तहसील जैतारण की मौका स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी नामान्तण दर्ज करते समय सहवन से शिम्भूराम पुत्र हापूराम दर्ज हो गया जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा यह स्वीकार गया है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज शिम्भूराम व वादी रामकुमार एक ही व्यक्ति है तथा सही एवं वास्तविक नाम रामलाल पुत्र भंवरलाल है। हापूराम के शिम्भूराम नाम का कोई अन्य पुत्र नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावें। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रस्तुत PW-01- वादी रामकुमार का साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र हापूराम है न की शिम्भूराम पुत्र हापूराम तथा रामकुमार तथा शिम्भूराम एक ही व्यक्ति है। प्रदर्श 01 व 02 जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम आ0कालू द्वितीय में खसरा नम्बर 990 रकबा 05–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 996 रकबा 06–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 998 रकबा 03–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1000 रकबा 03–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1740 रकबा 00–08 बीघा किस्म गैर मु0 आबादी, खसरा नम्बर 1787 रकबा 01–03 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 529 रकबा 07–18 बीघा किस्म चाही चारम, एवं प्रदर्श–03 जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम बस्सी पटवार हल्का आ0कालू के खसरा संख्या 986 में सहखातेदार के साथ शिम्भूराम पुत्र हापूराम बतौर खातेदार दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेज रामकुमार के नाम से है तथा जमाबन्दी में नाम शिम्भूराम पुत्र हापूराम दर्ज होनें से उसें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्श 4ए– वादी का विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श 5ए– वादी आधार कार्ड एवं प्रदर्श–6ए परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–7ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–8ए एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा जारी बैंक पासबुक, प्रदर्श–9ए पैन कार्ड, प्रदर्श–10ए वादी का ड्राइविंग लाइसेन्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामुकमार पुत्र हापूराम है। रामकुमार तथा शिम्भूराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा ग्राम आ0कालू में शिम्भूराम पुत्र हापूराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अतः वादी शपथ पत्र व प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र हापूराम है न कि शिम्भूराम पुत्र हापूराम। भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अभिलेख में दर्ज शिम्भूराम पुत्र हापूराम वस्तुतः एक लिपिकीय दोष जनित त्रुटिपूर्ण ष्टि है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज विष्टि शिम्भूराम को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि रामकुमार र्ज करवानें एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है। अतः द वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 990 रकबा 05-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 996 रकबा 06-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 998 रकबा 03-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1000 रकबा 03-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1740 रकबा 00-08 बीघा किस्म गैर मु0 आबादी, खसरा नम्बर 1787 रकबा 01-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा नम्बर 19-17 बीघा, खसरा नम्बर 529 रकबा 07-18 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा नम्बर 986 रकबा 19-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि "*शिम्भूराम*" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि "*रामकुमार*" दर्ज करते हुये वादी रामकुमार पुत्र हापूराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

आदेश आज दिनाँक 15/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :-

रामकुमार पुत्र हापुराम जाति- माली, निवासी- आ0कालू, तहसील जैतारण जिला- पाली, हाल निवासी- प्लाट नम्बर 65 खसरा नम्बर 224 सनसिटी धर्मकांटा के पीछे दीपनगर खोखरिया बनाड़ रोड़ जिला- जोधपुर(राज0)

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 141/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकार राज पैरोकार, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 990 रकबा 05-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 996 रकबा 06-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 998 रकबा 03-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1000 रकबा 03-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1740 रकबा 00-08 बीघा किस्म गैर मु0 आबादी, खसरा नम्बर 1787 रकबा 01-03 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा नम्बर 19-17 बीघा, खसरा नम्बर 529 रकबा 07-18 बीघा किस्म चाही चारम एवं खसरा नम्बर 986 रकबा 19-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"शिम्भूराम"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"रामकुमार"*** दर्ज करते हुये वादी रामकुमार पुत्र हापूराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें .... शहर ....-... ...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .... आज तारीख 15/0.../2021 को जारी बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

माफिक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-	∞	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	∞	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		/	महनताना वकील		/
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02-	∞	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
मिजानः-	05-	∞	मिजानः-	— Nil —	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested